न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर बस्तर कांकेर, (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक क्यू /सी.जे.एम./2023 कांकेर दिनांक 26/10/2023

मैं भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करता हूं कि **माह नवंबर–2023** के अवकाश दिवसों मे निम्न विवरणानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट, दोपहर के 03:00 बजे से 05:00 बजे तक न्यायालय मे मय स्टाफ के उपस्थित होकर आवश्यक कार्य यथा रिमाण्ड आदि सम्पादित करेंगे।

क.	मजिस्ट्रेट का नाम /पदनाम	रिमाण्ड तिथियां
01	श्री शंकर कश्यप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उत्तर बस्तर कांकेर	**दिनांक 11.11.2023, 12.11.2023, 13.11.2023, 14.11.2023 एवं 15.11.2023**
02	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी उत्तर बस्तर कांकेर	**दिनांक– 05.11.2023, 18.11.2023, 19.11.2023, 26.11.2023 एवं 27.11.2023**

नोट–

(1) बाह्य न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश दिवस पर अपने–अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत दोपहर के 03:00 बजे से 05:00 बजे तक न्यायालय मे मय स्टाफ के उपस्थित होकर आवश्यक कार्य यथा रिमाण्ड आदि सम्पादित करेंगे। बाह्य न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर होने से या मुख्यालय से बाहर होने पर अवकाश दिवस पर सुविधानुसार रिमाण्ड कार्य करने वाले न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड कार्य हेतु संबंधित आरक्षी केन्द्र को सूचित करेंगे।

(2) उपरोक्त अवकाश दिवसो के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश घोषित होने अथवा सदभाविक त्रुटिवश किसी अवकाश का उल्लेख उक्त रिमाण्ड आदेश मे होना रह जाने पर **मॉह–नवंबर 2023 मे श्री अरिंदम नेरल**, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, उत्तर बस्तर कांकेर के द्वारा उक्त अवकाश तिथि पर अत्यावश्यक कार्य यथा रिमाण्ड कार्य सम्पादित किया जावेगा।

(3) श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी उत्तर बस्तर कांकेर के समक्ष पुलिस रिमाण्ड प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा मुख्यालय मे पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट तथा उनकी अनुपस्थिति मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित किया जायेगा जिससे कि उनके द्वारा पुलिस रिमाण्ड की कार्यवाही संपादित की जावेगी।

(4) रिमाण्ड कार्य की अधिकता होने की स्थिति मे रिमाण्ड कार्य के समुचित निष्पादन हेतु एक से अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेटो की ड्यूटी दूरभाष पर सूचित करते हुये लगायी जा सकती हैं।

(5) रिमाण्ड ड्यूटी के स्तंभ क्रमांक–2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के यदि किसी कारणवश अत्यावश्यक कार्य करने हेतु असमर्थ हो तो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटो की सहमति लिया जाकर अवकाश हेतु प्रेषित आवेदन पत्र मे सहमति प्राप्त कर प्रेषित करेंगे तथा संबंधित दिनांक पर स्तंभ क्रमांक–2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर सहमति प्रदान करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक कार्य यदि रिमाण्ड कार्य सम्पादित किया जावेगा।

(6) मुख्यालय में सभी मजिस्ट्रेटों के अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगें।

उपरोक्त आदेश माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर द्वारा अनुमोदित उपरांत प्रभावशील होगा।

(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर बस्तर कांकेर

<u>प्रतिलिपिः—</u>

1— श्री शंकर कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उ.ब. कांकेर/श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी उ.ब. कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2— प्रस्तुतकार माननीय सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3— जिला अभियोजन अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर को अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अवकाश कालीन रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन की ओर से पक्ष रखने हेतु अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रखने की व्यवस्था करें।

4— अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ प्रेषित।

5— प्रस्तुतकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ प्रेषित।

स्थान कांकेर।
दिनांक 26.10.2023

(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर बस्तर कांकेर